शासनादेश सं० - 3208/14, दि० - 23-8-1955 ई०

उत्तर प्रदेश गजट, [illegible] १९५५

अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित स्पेशल लैंड एक्वीजिशन आफिसर्स को उक्त ऐक्ट के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग के सामने उल्लिखित जिले में प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं जब तक कि वे स्पेशल लैंड एक्वीजिशन आफिसर के पद पर नियुक्त रहें :—

क्रम-सं०	अधिकारी का नाम	जिला
१	श्री अमरनाथ प्रसाद	बस्ती।
२	" त्रिलोकी सिंह	फैजाबाद।
३	" फैयाज हुसैन	मोसो।
४	" दीनानाथ शर्मा	गोरखपुर।

२४ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ४६२१/१—स—३०६—५४—लैंड एक्वीजिशन एक्ट, १८९४ (ऐक्ट संख्या १, १८९४) की धारा ३ के खंड (सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय श्री कृष्णा सागर मिसाटी, डिप्टी कलेक्टर, बस्ती को उक्त ऐक्ट के अधीन जिला बस्ती में कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं।

संरक्षित वन घोषित

२५ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३२०८/१४—उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का यह मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० [illegible]) की धारा २६ की उपधारा (१) के अधीन अपेक्षित जांच करने और अभिलेख तैयार करने में इतना अधिक समय लगेगा कि उक्त सरकार के अधिकारों के बाधित होने की आशंका है।

अतएव अब वह उपर्युक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खंड द्वारा तथा उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ऐसी जांच होने और अभिलेख तैयार होने तक उक्त ऐक्ट की चैप्टर ४ के निदेश [illegible] अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पर लागू प्रख्यापित करते हैं।

अनुसूची

क्रम-संख्या	वि का नाम जो भारतीय वन ऐक्ट परिच्छेद ४ के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित की गई है	जिला	राजक की लम्बाई मीलों में		
			मी०	ए०	फी०
१	पर टंक रोड, मील ५९२/० से लेकर मील ६६३/० तक	कानपुर	७१	"	०
२	कानपुर-कालपी सड़क, मील ५२/० से लेकर मील ९६/० तक	"	४४	०	०
३	कानपुर-हमीरपुर सड़क, मील ०/० से लेकर मील ३९/० तक	"	३७	०	०
४	मोतीझील रोड, मील ११९/० से मील १७३/० तक	"	५४	०	०
५	लखनऊ-कानपुर सड़क, मील /० से लेकर मील ४६/३-६४०	लखनऊ और उन्नाव	४६	३	६४०
६	लखनऊ—बरेली सड़क मील /० से लेकर मील १५२/० तक	लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली	१५२	०	०
७	लखनऊ-प्रतापगढ़ सड़क, मील /० से लेकर १०८/० तक	लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़	१०८	०	०
८	लखनऊ-सुल्तानपुर सड़क, मील /० से लेकर मील ८५/१-२९८ फीट तक	लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी और सुल्तानपुर	८५	१	२९८